

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023.....
प्र0सू0रि0 सं. 46/23 दिनांक 21/02/2023
2. (i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7ए
(ii) अधिनियम..... धारायें..... भादस 120 बी.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (क) रोजनामचा आम रपट संख्या 405 समय 6:30 pm
(ख) अपराध घटने का दिन सोमवार :- 20.02.2023 समय 07.42 पीएम.....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- समय
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक :- लिखित
5. घटनास्थल :- खाटूश्यामजी प्राईवेट बस स्टेण्ड, जिला सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- चौकी से दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर
(ब) पता :- खाटूश्यामजी प्राईवेट बस स्टेण्ड, जिला सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम :- श्री राकेश कुमार
(ब) पिता/पति का नाम :- श्री हरिप्रसाद
(स) जन्म तिथि/वर्ष :- 27 वर्ष
(द) राष्ट्रियता- भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या
जारी करने की तिथि जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय :-
(ल) पता :- निवासी मु.पो. कोछोर, थाना जीणमाता, जिला सीकर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
 1. श्री सागरमल मीणा पुत्र श्री सांवरमल जाति मीणा उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम मदनी पुलिस थाना खाटूश्यामजी जिला सीकर (प्राईवेट व्यक्ति) वकील
 2. श्री उज्जवल खोखर पुत्र श्री हेमाराम जाति जाट उम्र 26वर्ष निवासी विनायकपुरी रायपुरा पुलिस थाना रानोली जिला सीकर। (प्राईवेट व्यक्ति) वकील
 3. श्री बजरंग लाल ऐचरा पुत्र श्री कालुराम ऐचरा जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी बनाथला पुलिस थाना दातारामगढ जिला सीकर। (प्राईवेट व्यक्ति) वकील एवं अन्य
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
कोई देरी नहीं हुई
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य रिश्वती राशि 1500 रूपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-

दिनांक 15.02.2023 को समय 11.30एएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाकर देखा गया तो उसमें पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। टेप रिकार्डर श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर तथा परिवादी से उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रिश्वत की मांग के सत्यापन हेतु पिपराली चोराहा सीकर की तरफ रवाना किया गया।

नोट :- दिनांक 15.02.2023 को समय करीब 11.00 एएम पर ब्यूरो मुख्यालय से ईत्तला प्राप्त होने पर श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9413060503 पर कॉल कर वार्ता की गई तो परिवादी ने श्री सागरमल(प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा रिश्वत की मांग करना बताया एवं अपने किसी कर्मचारी को पिपराही चोराहा सीकर भिजवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द को मामले में परिवादी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर देकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये।

समय करीब 4.15 पीएम इस समय श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरीये वाटसअप कॉल कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना हो पीपराही चोराहा पहुँच परिवादी से सम्पर्क करने पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी से लिखित प्रार्थना पत्र कर परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर चलाने व बन्द करने की विधी समझाई। तत्पश्चात परिवादी के चाहेनुसार परिवादी की गाडी से पाटन की तरफ रवाना हुये जहाँ पर पाटन पहुँच श्री सागरमल(प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल नं. 9413982355 पर समय करीब 3.58 पर परिवादी ने अपने मोबाईल नं. 9413060503 से वार्ता की तो सागरमल ने रूपये के सम्बन्ध में वार्ता कर स्वयं बाहर जाना बताया एवं शाम को घर पर मिलने की बात कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया था। जिस पर कानि. मूलचन्द एवं परिवादी को आरोपी श्री सागरमल के गाँव मदनी, पुलिस थाना खाटुश्यामजी पहुँचकर अपने कार्य के सम्बन्ध में बात करने की हिदायत दी गई। समय 8.20 पीएम इस समय श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरीये वाटसअप कॉल कर बताया कि मैं एवं परिवादी उसकी गाडी से पाटन से रवाना हो रास्ते में आरोपी श्री सागरमल के गाँव का रास्ता मालूम करने के लिए समय करीब 06.21पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाईल नं. 9413060503 से आरोपी श्री सागरमल (प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल नं. 9413982355 पर वार्ता की। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया था। तत्पश्चात आरोपी के गाँव मदनी, पुलिस थाना खाटुश्यामजी में पहुँच आरोपी के घर से थोड़ी दूर पर डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी श्री सागरमल के घर पर रवाना किया एवं परिवादी के आने पर पूनः टेप रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर लिया था। मूलचन्द कानि ने अपने मोबाईल से परिवादी की भी जरीये वाटसअप वार्ता करवाई जिसने बताया कि मेरी श्री सागरमल (प्राईवेट व्यक्ति) से वार्ता होने पर उसने मेरे खिलाफ पाटन थाने में दर्ज मुकदमे में मदद करवाने एवं मेरे परिवार के लोगो के नाम कटवाने के नाम से श्री राजेश सिहाग थानाधिकारी एवं श्री शंकर, रीडर के नाम से एक लाख रूपये की मांग की फिर 70हजार रूपये पर सहमत होकर दस हजार रूपये मौके पर ले लिये। परिवादी ने मौके से यह भी बताया था कि सागरमल दलाल से वार्ता होने पर थानाधिकारी पाटन एवं रीडर से बार-बार बात करने की कहने पर भी सागरमल ने बाते नहीं की एवं कहां कि मैं अपने आप बाते कर लुगा साथ ही कहां कि एसएचओ मेरे से सिधे रूपये नहीं लेगा। किसी अन्य माध्यम से लेगा और एसएचओ आज बलवन्तपुर में ही किसी शादी में आया हुआ है। इसलिये मैं कल पूनः सागरमल से बाते करूंगा एवं मैं आज मेरे कार्य होने से आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं होउगां, आप कल मेरे पास आपके कानि. को भिजवा देना। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को मुनासीब हीदायत कर श्री मूलचन्द कानि. को कार्यालय में उपस्थित होने की कही।

तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 उपस्थित कार्यालय आया। श्री मूलचन्द कानि. ने परिवादी का लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं राकेश कुमार कोछोर का रहने वाला हूँ तथा आरएसी में चालक के पद पर पदस्थापित हूँ। मेरी शादी 1 वर्ष पहले श्रीमति पार्वती निवासी न्योराणा के साथ हुई थी। पार्वती भी पुलिस में सर्विस करती है। मेरी पत्नी ने हमारे खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया जिसकी तफतीस पाटन थाने पर चल रही है। मेरे मोबाईल पर दिनांक 11.02.2023 को मोबाईल नं. 9950245026 से फोन आया जो अपने आप को एसएचओ का रिडर बताते हुये मेरे को धमकाने लगा और कहा कि दहेज का सामान लेकर क्यू नहीं आया आपको 10 तारीख को बुलाया था। थाने पर जल्दी आ जाना वरना आपको गिरफ्तार करेगे, जिसकी रिकार्डिंग मेने मेरे मोबाईल पर कर ली थी जो आपको पेश कर रहा हूँ मैं मेरे दूर के रिश्तेदार वकील श्री सागरमल मीणा से सीकर कोर्ट में मिला सागर वकील ने कहा की आप 13 फरवरी को सामान लेकर थाने परचलना, मैं व मेरा साथी

वकील एसएचओ रिडर से मिलकर तेरा काम करा देगे मेरा दोस्त वकील थानेदार का मित्र है। हम दिनांक 13.02.2023 को दहेज का सामान ले जाकर पेश कर दिया था उस समय थाने पर थानेदार का रिडर शंकर कानि. ने मेरे को धमकाया व मोबाईल छीन लिया अझैर गिरफ्तार करने की धमकी देकर बैठा लिया फिर मेरे को थानेदार ने अपनी आफिस में बुलाया और धमकाया उस समय थानेदार के पास वकील सागरमल व उसका दोस्त वकील थानेदार के पास बैठे थे फिर मेरे को धमकाकर थानेदार ये बहार भेज दिया तथा फिर कल आने के लिये कहा फिर मैं घर चला गया और वकील से बात की तो वकील ने कहा की हमारी थानेदार से बात हो गई है 1 लाख रुपये लगेगे आपका काम हो जायेगा फिर मैंने वकिल को 10-10 हजार रुपये दो बार दिये है। अब वकील और रुपये मांग रहा है। मैं रिश्वत नही देना चाहता हूँ थानेदार एवं रिडर के लिये वकील द्वारा रिश्वत लेते समय रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी श्री राकेश कुमार, दिनांक 15.02.23, एसडी स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार चेजारा, अति. प्रशा. अधि. व श्री संजय कुमार भीचर, वरिष्ठ सहायक, दिनांक 20.02.23 एवं एसडी श्री सुरेश चन्द्र, पुलिस निरीक्षक, दिनांक 15.02.2023, मय डिजीटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैंने पिपराली चोराहा सीकर पहुँच परिवारी से सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया इसके पश्चात परिवारी को डिजीटल टेप रिकार्डर चलाने व बन्द करने की विधी समझाई। परिवारी ने अपने कार्य के सम्बन्ध में श्री सागरमल (प्राईवेट व्यक्ति) दलाल से रिश्वत के संबंध में मोबाईल पर एवं आमने सामने वार्ता होने पर उसके विरुद्ध पुलिस थाना पाटन में दर्ज मुकदमे मे मदद करवाने एवं उसके परिवार के लोगो के नाम कटवाने के नाम से श्री राजेश सिहाग थानाधिकारी एवं श्री शंकर, रिडर के नाम से एक लाख रुपये की मांग की फिर 70हजार रुपये पर सहमत होकर दस हजार रुपये मौके पर ले लिये। जो उक्त बाते परिवारी ने मेरे फोन से जरिये वाटसअप कॉल कर मौके से आपको बताई थी। जिस पर टेप रिकार्डर को सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि होने एवं परिवारी की मौके से वाटसअप कॉल बताई गई बातो की ताईद होती है। परिवारी ने मौके से यह भी बताया था कि सागरमल दलाल से वार्ता होने पर थानाधिकारी पाटन एवं रिडर से बार-बार बात करने की कहने पर भी सागरमल ने बाते नही की एवं कहाँ कि मैं अपने आप बाते कर लुगा। उक्त तथ्य की पुष्टी टेप रिकार्डर को सुनने से भी होती है। आईन्दा कल दिनांक 16.02.2023 को रिश्वत की मांग का पूनः गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

दिनांक 12.00पीएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय का दूसरा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाकर देखा गया तो उसमें पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। टेप रिकार्डर श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर परिवारी राकेश कुमार से सम्पर्क कर रिश्वत की मांग के सत्यापन हेतु मुनासीब हिदायत कर रवाना किया। समय 04.30.पीएम इस समय कानि. मूलचन्द उपस्थित कार्यालय आया। डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना हो परिवारी से सम्पर्क करने पर वह सीकर में मुझे डाक बगले के पास उपस्थित मिला जिसको कार्यालय का टेप रिकार्डर सुपुर्द कर आरोपी श्री सागरमल (प्राईवेट व्यक्ति) दलाल के पास कोर्ट परिसर में भिजवाया एवं परिवारी के वापिस आने पर टेप रिकार्डर में प्राप्त कर लिया। परिवारी ने मुझ कानि. को बताया की आरोपी सागरमल ने उससे बात कर दस हजार रुपये प्राप्त कर लिये एवं पचास हजार रुपये कल देने की कही है। परिवारी के आवश्यक कार्य होने से वो मेरे साथ उपस्थित नही आया। परिवारी ने दिनांक 20.02.2023 को आरोपी को रिश्वत देने की बात कही है। जो मोके से भी मेनें जरिये वाटसअप कॉल आपको बताई थी एवं परिवारी की बात करवाई थी। जिस पर टेप रिकार्डर को सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि होने एवं परिवारी की मौके से वाटसअप कॉल कर बताई गई बातो की ताईद होती है। परिवारी ने मौके से यह भी बताया था कि सागरमल दलाल से वार्ता होने पर थानाधिकारी पाटन एवं रिडर से बार-बार बात करने की कहने पर भी सागरमल ने बाते नही की एवं कहाँ कि मैं अपने आप बात कर लुगा। टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

दिनांक 20.02.2023 को समय 09.30एएम इस समय परिवारी राकेश कुमार अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित कार्यालय आया। परिवारी ने श्री मूलचन्द कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री सागरमल(प्राईवेट व्यक्ति) से पहले की कोई रंजीश अथवा पूर्व का कोई उधार लेनदेन नहीं होना बताया। परिवारी ने दिनांक 15.02.2023 को स्वयं के



मोबाईल नम्बर 9413060503 से आरोपी श्री सागरमल के मोबाईल नं. 9413982355 पर वार्ता होना एवं आमने सामने वार्ता के दौरान सतर हजार रुपये देने की बात कहते हुये दस हजार रुपये आरोपी द्वारा प्राप्त करना एवं दिनांक 16.02.2023 को भी आमने सामने वार्ता के दौरान दस हजार रुपये प्राप्त कर लेने की बात बताते हुये पचास हजार रुपये बतौर रिश्वत मांग किया जाना बताया। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात कार्यालय जिला अल्प सख्यक कल्याण अधिकारी सीकर से तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु कुमार चेजारा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री संजय कुमार भीचर, वरिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। जिनका परिवादी राकेश कुमार से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। समय 10.00 एएम इस समय दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 15.02.2023 को समय करीब 03.58पीएम पर परिवादी राकेश कुमार द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9413060503 से श्री सागरमल के मोबाईल नम्बर 9413982355 पर वार्ता की उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। इसके अलावा परिवादी राकेश कुमार द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 15.02.2023 को समय करीब 06.21पीएम पर आरोपी के निवास का पता करने के लिए अपने मोबाईल नम्बर 9413060503 से श्री सागरमल के मोबाईल नम्बर 9413982355 पर वार्ता की उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था एवं परिवादी राकेश कुमार द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 15.02.2023 को आरोपी सागरमल(प्राईवेट व्यक्ति) दलाल से आमने-सामने हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से उक्त तीनो वार्ताओ का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सीलड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित कर सीलड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी राकेश कुमार ने स्वयं की व आरोपी श्री सागरमल(प्राईवेट व्यक्ति) दलाल की आवाजों की पहचान की।

नोट :- समय करीब 11.05एएम पर आरोपी की लोकेशन का पता करने के लिए परिवादी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9413060503 से श्री सागरमल के मोबाईल नम्बर 9413982355 पर वार्ता करवाई तो आरोपी ने शाम को 04बजे घर पर मिलने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था।


तत्पश्चात दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 16.02.2023 को परिवादी राकेश कुमार की आरोपी सागरमल(प्राईवेट व्यक्ति) दलाल से आमने-सामने हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सीलड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अंकित कर सीलड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी राकेश कुमार ने स्वयं की व आरोपी श्री सागरमल(प्राईवेट व्यक्ति) दलाल की आवाजों की पहचान की। समय 05.30 पीएम इस समय परिवादी श्री राकेश कुमार ने हिदायत देने पर आरोपी श्री सागरमल (प्राईवेट व्यक्ति) दलाल को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच-पांच सौ रुपये के 100 नोट कुल 50,000 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है:-

1. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7 LB 503845
2. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 KE 829972
3. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9 ED 151891
4. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 BW 864983
5. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9 ET 040253
6. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7 PM 072611
7. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 BU 219698
8. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7 CG 919999

9. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 NS 685142
10. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 SE 537096
11. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 PK 165545
12. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 1 CS 420155
13. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 VH 005225
14. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 HE 202766
15. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 GQ 642765
16. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 HV 339765
17. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 HT 971257
18. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 1 QE 315705
19. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 EP 743781
20. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 TL 248396
21. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 BG921062
22. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 FN 744294
23. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 7 HG 593144
24. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 FW 832762
25. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 PL 402105
26. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 CV 781758
27. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 8 VL 849592
28. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 4 CP 255023
29. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 TE 968245
30. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 1 TV 455931
31. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 QA 116484
32. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 ED 156349
33. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 AU 026020
34. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 BR 962852
35. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 MS 003564
36. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 NW 306916
37. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 7 SD 730535
38. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 QA 164209
39. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 7 KT 758065
40. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 1 QE 884482
41. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 1 QE 884483
42. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 1 QE 884484
43. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 8 VL 326052
44. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 1 QE 884490
45. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 GG 086255
46. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 4 FT 331025
47. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 EU 792582
48. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 HA 742976
49. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 7 RR 072896
50. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 UR 126870
51. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 UQ 850245
52. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 AS 645523
53. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 CF 711289
54. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 FD 709303
55. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 8 AH 593713
56. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 GP 456050
57. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 8 KF 231212
58. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 7 RD 512695

59. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 EP 701584
60. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 1 VC 428024
61. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 GS 322882
62. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 HG 785840
63. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 PC 258257
64. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 DQ 084737
65. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 MQ 694175
66. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 PR 278931
67. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 LE 829030
68. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 AU 601777
69. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 8 BP 581365
70. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 TC 886440
71. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 LD 088862
72. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 HT 399559
73. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 7 PL 489008
74. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 DK 329613
75. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 QN 161914
76. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 LB 408420
77. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 DD 430926
78. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 7 SL 877018
79. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 MV 770326
80. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 FL 424601
81. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 4 FE 429226
82. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 8 UU 372158
83. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 SM 818749
84. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 7 MF 329316
85. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 4 AT 304703
86. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 4 DW 582219
87. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 HQ 903810
88. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 PC 964768
89. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 CK 938314
90. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 ST 706888
91. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 DT 131509
92. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 7 AN 859462
93. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 4 FE 449899
94. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 BG 120040
95. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 AR 007080
96. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 UT 777539
97. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 ND 459387
98. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 GE 653175
99. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 UD 727666
100. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 FW 420898

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री रामनिवास, कानि. 485 से हस्ब कायदा फिनोपथलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री संजय कुमार भीचर से परिवादी श्री राकेश कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोपथलीन पाऊडर लगे 50,000 रूपयों के नोट श्री रामनिवास, कानि. से परिवादी के पहने हुये पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नही मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वयं की जेब में रखे पाऊडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने



के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर 9413982355 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर 9079554697 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्री रामनिवास, कानि., जिसने नोटो पर फिनोपथलीन पाऊडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री रामनिवास कानि. से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोपथलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री रामनिवास, कानि. के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुये ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री राकेश कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

तत्पचात समय 05.50 पीएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु कुमार चेजारा, श्री संजय कुमार भीचर एवं कार्यालय स्टाफ के श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568, श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई व श्रीमती मंजु मकानि. 483 मय चालक श्री सुरेश नं. 60 के ट्रेप बाक्स एवं लैपटॉप मय प्रिन्टर सरकारी वाहन एवं श्री राजेश जागिड़ उप अधीक्षक पुलिस मय श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक प्राईवेट वाहन एवं श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 को परिवादी श्री राकेश कुमार की मोटर साईकिल से सीकर से गाँव मदनी पुलिस थाना खाटुश्यामजी के लिये रवाना होता हूँ। समय 05.55 पीएम इस समय श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जागिड़ द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जरिये फोन श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, झुन्झुनू को मय टीम के गोपनीय कार्यवाही में बजानिब नीमकाथाना, पाटन जाने हेतु निवेदन किया गया एवं आमदा अन्य स्वतंत्र गवाहान व श्री रामनिवास कानि. को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो झुन्झुनू के साथ जाने की हिदायत खास जरिये मोबाईल की गई। समय 06.28 पीएम इस समय मंडा मोड पर जयपुर रोड पर पहुँच आरोपी का पता करने के लिए परिवादी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9413060503 से श्री सागरमल के मोबाईल नम्बर 9413982355 पर वार्ता करवाई तो आरोपी ने सीकर में होना बताकर पलसाना में मिलने की बात कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। तत्पश्चात 06.31 पीएम इस समय परिवादी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9413060503 से श्री सागरमल के मोबाईल नम्बर 9413982355 पर पूनः वार्ता करवाई तो परिवादी ने आरोपी को सीकर में ही मिलने की बात कही जिस आरोपी ने सीकर में कृषी उपज मण्डी के पास मिलने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। समय 06.33 पीएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनो से सीकर के लिए रवाना होता हूँ।

तत्पश्चात समय 07.15 पीएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान पार्टी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सर्किट हाउस के पास पहुँच वाहनो को साईड में रूकवाकर परिवादी श्री राकेश कुमार को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर समय करीब 07.27पीएम पर कृषी उपज मण्डी की तरफ रवाना किया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पिछे-पिछे मूलचन्द कानि. को साथ लेकर अपने अपने वाहनो से रवाना हो खाटुश्यामजी प्राईवेट बस स्टेण्ड, कृषी उपज मण्डी के बाहर मुख्य सड़क पर पहुँच वाहनो को साईड में रूकवाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान पार्टी के मुख्य सड़क पर

ईधर-उधर परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार मे मुकिम हुआ। समय 07.42 पीएम इस समय कृषि उपज मण्डी समिति सीकर के बाहर की साईड में सीकर जयपुर रोड पर मुख्य सड़क पर खड़े मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी राकेश कुमार का मिस कॉल का तय ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आस-पास मुकिम पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान को ईशारे से साथ लेता हुआ खाटुश्यामजी प्राईवेट बस स्टेण्ड पर पहुँचा, जहाँ परिवादी खड़ा मिला एवं उसके पास ही सिमेन्ट की बेंच पर एक व्यक्ति बैठा हुआ ओर एक व्यक्ति खड़े मिला। परिवादी ने कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मुझे सुपुर्द कर बस स्टेण्ड पर बनी सिमेन्ट की बेंच पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यही श्री सागरमल(प्राईवेट व्यक्ति) है जिनके द्वारा मुझसे रिश्वत राशि मांगी गई थी एवं इनके कहने पर ही मैंने पाउडर लगे पचास हजार रुपये (बेंच के पास खड़े दूसरे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया) इनको दिये है जिन्होंने रुपये लेकर सागरमल के कहेनुसार अपने दोनो हाथो से गिनकर अपने पहने हुये लोवर की साईड की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर उक्त दोनो व्यक्तियो को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर बेंच पर बैठे व्यक्ति को उसका परिचय पुछा तो बेंच पर बैठे व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम श्री सागरमल मीणा पुत्र श्री सांवरमल जाति मीणा उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम मदनी पुलिस थाना खाटुश्यामजी जिला सीकर पेशा वकील होना बताया जिसको परिवादी से पूर्व में एवं आज रिश्वती राशि लेने बाबत पुछा तो बताया कि " मैंने थानेदार पाटन के नाम से झुठ बोलकर रुपये मांगे थे जो आज परिवादी के रुपये देते समय मैंने मेरे जुनियर श्री उज्जवल खोखर को श्री रोशन नाम के व्यक्ति को देने के लिए दिलवाये थे। जो श्री उज्जवल खोखर को मैंने बस स्टेण्ड पर फोन कर बुलाया था क्योंकि श्री रोशन को उसके द्वारा खरीदी गई बस का सुबह या रात को पेमेण्ट करना था मैं सुबह गाँव से लेट आता हूँ इसलिये मैंने श्री उज्जवल खोखर को फोन करके बुलाया था। मैंने राकेश कुमार से पूर्व में दिनांक 15.02.2023 को दस हजार एवं दिनांक 16.02.2023 को दस हजार रुपये भी झुठ बोलकर श्री राजेश थानेदार पाटन के नाम से लिये थे क्योंकि राकेश मेरा रिश्तेदार है इसलिये मैं उससे फीस नही ले सकता" परिवादी राकेश कुमार ने आरोपी के कथनो का खण्डन कर बताया कि "श्री सागरमल झुठ बोल रहे है ये मेरी दूर की रिश्तेदारी मे है। हमने इनको हमारे किसी मामले में वकील नही कर रखा है। इन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस थाना पाटन में दर्ज मुकदमा नं. 09/2023 में मेरी मदद करवाने एवं मेरे परिवार के लोगो का नाम कटवाने की एवज में राजेश थानेदार से पहचान बताकर उनके नाम से एक लाख रुपये की मांग की गई फिर सतर हजार रुपये में सहमति देकर दिनांक 15.02.2023 को दस हजार एवं दिनांक 16.02.2023 को दस हजार रुपये प्राप्त किये थें। एवं आज दिनांक 20.02.2023 को इनके कहेनुसार पचास हजार रुपये इनके साथी को दिये है।" तत्पश्चात बेंच के पास खड़े व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री उज्जवल खोखर पुत्र श्री हेमाराम जाति जाट उम्र 26वर्ष निवासी विनायकपुरी रायपुरा पुलिस थाना रानोली जिला सीकर पेशा वकील होना बताया। जिससे परिवादी से रिश्वती राशि लेने बाबत पुछा तो बताया कि " मैं राकेश कुमार को नही जानता हूँ मेरे को श्री सागरमल मीणा जो मेरे सिनीयर वकील है जिनके अधीन में वकालत करता हूँ मेरे को सागरमल जी ने ही थोडी देर पहले फोन करके खाटुश्याम प्राईवेट बस स्टेण्ड सीकर पर बुलाया मैं मेरी मोटर साईकिल लेकर इनके पास आया तो सागरमल मीणा श्री राकेश कुमार के पास बैठे बात कर रहे थे जो सागरमल जी के कहने पर राकेश कुमार ने मेरे को रूपयो का बंडल पकडाया जिसको मैंने सागरमल के कहने पर गिनकर पहने हुये लोवर की साईड की दाहिनी जेब में रख लिये जो मेरी जेब मे है। श्री सागरमल ने मेरे को ये रुपये श्री रोशन जी को रात को या सुबह देने के लिए दिलवाये थे क्योंकि सागरमल जी सुबह गाँव से लेट आते है। मुझे पता नही ये रुपये किस बात के थे।" परिवादी ने श्री उज्जवल के कथनो का खण्डन करते हुण कहा कि" श्री सागरमल ने मेरे विरुद्ध दर्ज मुकदमा नं. 09/23 में मदद करने के लिए रिश्वत राशि मांगी थी आज रिश्वत देने आया तो सागरमल ने उज्जवल को बुलाकर रिश्वत राशि दिखाई है जो उज्जवल खोखर के पास है। इनकी मिलीभगत है इसलिए राशि श्री उज्जवल को दिलवाई है।" रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर एवं मौके पर भीड़ भाड़ की स्थिति होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर श्री दलीप कुमार कानि. ने श्री उज्जवल खोखर का दाहिना हाथ तथा श्री मूलचन्द कानि. ने आरोपी का बाया हाथ कलाईयों के उपर से पकड़ लिये तथा श्री सागरमल मीणा को हमरा लेकर ज्यों की त्यों स्थिति में वाहन में बिठाकर श्री उज्जवल की मोटरसाईकिल श्री अमित

कुमार कनिष्ठ सहायक के साथ लेकर हमराहीयान के परिवादी को साथ लेकर एसीबी चौकी सीकर के लिए समय 07.55 पीएम पर रवाना हुआ।

तत्पश्चात समय 08.15 पीएम इस समय एसीबी चौकी सीकर पहुँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दो काँच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोड़ा-थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में श्री उज्जवल खोखर के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त श्री उज्जवल खोखर के बायें हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ काँच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 एवं आर-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल-1, एल-2 से सील्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री उज्जवल खोखर ने अपने पहने हुये लोवर की साईड की दाहिनी जेब में रखे पाँच-पाँच सो रूपयों के नोटों की थैई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री संजय कुमार भींचर से गिनवाया गया जो कुल 50,000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। उपरोक्त समस्त कुल 50,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री उज्जवल खोखर को दूसरा लोवर उपलब्ध करवाने पर उसने अपने पहने हुये लोवर को उतारकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक काँच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला उस रंगहीन घोल में श्री उज्जवल खोखर के लोवर की साईड की दाहिनी जेब, जिसमें से रिश्वती राशि बरामद की गई, को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ काँच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी-1 एवं पी-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात श्री उज्जवल खोखर के लोवर की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो कुछ भी नहीं मिला। श्री उज्जवल खोखर के उक्त लोवर की साईड की दाहिनी जेब में सफेद कागज की चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर लोवर को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "सी" अंकित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री सागरमल मीणा को पूनः परिवादी से रिश्वती राशि लेने के सम्बन्ध में पुछा तो बताया कि "मैने श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट जो थानाधिकारी पाटन के जान पहचान का जिसके कहने पर मैने परिवादी राकेश कुमार से उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में मदद करवाने एवं उसके परिवार के लोगो के नाम हटवाने की एवज में रिश्वती राशि मेरे जुनियर श्री उज्जवल को दिलवाई है" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री सागरमल मीणा के मोबाईल नं. 9413982355 से श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट के मोबाईल नम्बर 9414634684 पर वार्ता करवाई तो आरोपी सागरमल के कथन " कि भाईसाहब मैं पहुँचने में लेट हो गया था आपा पाटन थाने पर जाकर आये थे उस मामले में मैने रूपये ले लिये है, अब उनका क्या करना है।" जिस पर श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट ने कहाँ कि " सुबह बात करना, अब क्या करना है अपन ने तो पहले ही दे दिये थे, अपन ने तो ले लिये आप से, अब क्या कह रहे हो इतनी लेट" इस पर श्री सागरमल मीणा का कहना कि " किसको दे दिये" तब श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट ने कहाँ कि "कोई न ही कोनी दिया, अब क्या कह रहे हो यार" इस पर आरोपी श्री सागरमल ने कहाँ कि " मैं ये कह रहा हूँ कि रूपये ले लिये है" जिस पर श्री श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट ने कहाँ कि " ले लिया तो बढीया है" उक्त वार्ता को आरोपी श्री सागरमल मीणा के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पूर्व से निर्देशित श्री रोहिताश्व सिंह एसआई मय श्री मूलचन्द कानि. 207, श्रीमती मंजु महिला कानि. 483 को सरकारी वाहन मय चालक सुरेश कुमार के श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट को उसके निवास स्थान बागपत कॉलोनी सीकर से दरस्तयाब कर लाने के लिए कहा। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर-1, आर-2, एल-1, एल-2, पी-1, पी-2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज

एवं सील्ड लोवर के पैकेट मार्क "सी" पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया।

तत्पश्चात 09.30 पीएम इस समय श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई मय श्री मूलचन्द कानि. 207, श्रीमती मंजु महिला कानि. 483 को सरकारी वाहन मय चालक सुरेश कुमार को सीकर शहर के लिए मुनासीब हिदायत कर रवाना किया। समय 09.43 पीएम इस समय आरोपी श्री सागरमल मीणा के मोबाईल नं. 9413982355 से श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट के मोबाईल नम्बर 9414634684 पर वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को आरोपी श्री सागरमल मीणा के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। मोके पर आरोपी श्री सागरमल की श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट से करवाई वार्ता के आधार पर पूर्व से निर्देशित श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई को श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट को उसके निवास स्थान बागपत कॉलोनी सीकर से दस्तयाब कर लाने के लिए कहा। तत्पश्चात समय 10.15 पीएम इस समय श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई मय हमराहियान के उपस्थित होकर श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट को मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उसका नाम पता पुछा तो अपना नाम बजरंग लाल ऐचरा पुत्र श्री बजरंग लाल ऐचरा पुत्र श्री कालुराम ऐचरा जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी बनाथला पुलिस थाना दातारामगढ जिला सीकर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री बजरंग लाल ऐचरा से पुछताछ की तो श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट ने श्री राजेश थानाधिकारी पाटन से जान पहचान होना बताया एवं दिनांक 15.02.2023 को ग्राम बलवन्तपुरा में एक साथ शादी में जाकर आना बताया। श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट ने यह भी बताया कि श्री राजेश, थानाधिकारी उधोग नगर में पदस्थापन के समय से मेरे से परिचित है। मेरी परिवादी राकेश कुमार से किसी भी प्रकार से रिश्वत के सम्बन्ध में कोई वार्ता नहीं हुई है और नहीं राजेश थानाधिकारी से इस सम्बन्ध में वार्ता हुई है। लेकिन दिनांक 13.02.2023 को श्री सागरमल मीणा के कहने से उसके साथ पुलिस थाना पाटन पर गया था एवं श्री राजेश सिहाग थानाधिकारी पाटन से उनके कार्यालय में मिला ओर श्री सागरमल मीणा के कहने पर उनके रिस्तेदार राकेश के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 09/2023 में मदद करने बाबत वार्तालाप की थी। श्री सागरमल मीणा से मैं लेनदेन करता रहता हूँ आज मेरे को लॉटरी की किस्त देनी थी इसलिये मेरे द्वारा सागरमल मीणा से रूपये मांगने पर श्री सागरमल ने मेरे को 24हजार रूपये फोन पे व 11हजार रूपये नगद दिये थे।

तत्पश्चात 10.30 पीएम इस समय श्री सागरमल मीणा पुत्र श्री सांवरमल जाति मीणा उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम मदनी पुलिस थाना खाटुश्यामजी जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भादस में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 10.45 पीएम इस समय श्री उज्जवल खोखर पुत्र श्री हेमाराम जाति जाट उम्र 26वर्ष निवासी विनायकपुरी रायपुरा पुलिस थाना रानोली जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भादस में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 11.00 पीएम इस समय श्री बजरंग लाल ऐचरा पुत्र श्री कालुराम ऐचरा जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी बनाथला पुलिस थाना दातारामगढ जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भादस में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात समय 11.15 पीएम इस समय दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.02.2023 को समय करीब 11.05एएम पर आरोपी की लोकेशन का पता करने के लिए परिवादी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9413060503 से श्री सागरमल के मोबाईल नम्बर 9413982355 पर वार्ता करवाकर उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। इसके अलावा रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.02.2023 को समय करीब 06.28 पीएम पर मंडा मोड पर जयपुर रोड पर पहुँच आरोपी का पता करने के लिए परिवादी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9413060503 से श्री सागरमल के मोबाईल नम्बर 9413982355 पर वार्ता करवाकर उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था तथा रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.02.2023 को समय करीब 06.30 पीएम पर परिवादी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9413060503 से श्री सागरमल मीणा के मोबाईल नम्बर 9413982355 पर पूनः वार्ता करवाकर उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर


डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था व इसके अलावा रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.02.2023 को समय करीब 09.43 पीएम पर आरोपी श्री सागरमल मीणा के मोबाईल नं. 9413982355 से श्री बजरंग लाल ऐचरा, एडवोकेट के मोबाईल नम्बर 9414634684 पर वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को आरोपी श्री सागरमल मीणा के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था एवं दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.02.2023 को परिवादी राकेश कुमार की आरोपी श्री सागरमल मीणा से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, था। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से उपरोक्त पॉचो वार्ताओ का फर्द रूपान्तरण किया जाकर चार सीडी तैयार कर आरोपीगण व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "डी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी राकेश कुमार ने स्वयं की व आरोपीगण श्री सागरमल मीणा एवं श्री बजरंग लाल ऐचरा की आवाजों की पहचान की है।

दिनांक 21.02.2023 समय 12.30 एएम इस समय आरोपी श्री सागरमल मीणा के मोबाईल ओपो ए96 कम्पनी के फोन पे व वाटसअप को आरोपी सागरमल की मदद से चैक किया तो सागरमल द्वारा अपने मोबाईल से आरोपी श्री बजरंग लाल ऐचरा के फोन पे पर 24,000रूपये का ट्रांजेक्शन करना पाया गया व अन्य वाटसअप कॉल करना पाया जाने पर मोबाईल से स्क्रीन सोट लेकर प्रिन्ट आउट निकाला जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया (पेज 01 से 10 तक) एवं आरोपी श्री बजरंग लाल ऐचरा के मोबाईल रेडमी कम्पनी सिम नं. 9414634684 का विभिन्न कालो का मोबाईल से स्क्रीन सोट लेकर प्रिन्ट आउट निकाला जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया (पेज 01 से 04 तक)। समय 12.40 एएम इस समय रात्रि होने से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका नही बनाया जा सकता। सुर्योदय होने पर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जायेगा। मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान एवं हमराहियान के रात्रि मुकीम चौकी हाजा पर ही होता हूँ।

तत्पश्चात समय 04.30 एएम इस समय श्री रामनिवास कानि. 483 श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो झुन्झुनूं के साथ गया हुआ हाजिर आकर पुलिस थाना पाटन जिला सीकर के मुकदमा नं. 09/2023 की प्रमाणित प्रति लाकर पेश की एवं बताया कि श्रीमान एएसपी, एसीबी झुन्झुनूं के साथ अन्य स्वतंत्र गवाह के साथ रवाना होकर पुलिस थाना पाटन से उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति एएसपी साहब ने प्राप्त कर सीकर में मुझे दी जो पत्रावली की प्रति आपको पेश की है। पुलिस थाना पाटन जिला सीकर के मुकदमा नं. 09/23 की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई। समय 07.20 एएम इस समय सुर्योदय होकर उजाला होने पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल तैयार करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के खाटुश्यामजी प्राईवेट बस स्टेण्ड सीकर के लिए मय अनुसंधान सामग्री मय सरकारी वाहन मय चालक सुरेश कुमार के रवाना होता हूँ। समय 09.10 एएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुद्धा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल हस्ब कायदा प्रथक से तैयार कर शामिल पत्रावली कर रवाना हो हाजीर आया। समय 09.30 एएम इस समय मौके की कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। अतः परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। प्रकरण से संबंधित समस्त माल वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सागरमल मीणा(प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार से उसके विरुद्ध पुलिस थाना पाटन जिला सीकर में दर्ज अपराध संख्या 09/2023 में उसकी मदद करवाने एवं उनके परिवारजनो के नाम हटवाने की एवज में राजेश थानेदार से पहचान बताकर उनके नाम से एक लाख रूपये रिश्वत मांग कर सतर हजार रूपये में सहमत होकर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 15.02.2023 को दस हजार रूपये एवं दिनांक 16.02.2023 को दस हजार रूपये परिवादी से प्राप्त कर आज दिनांक 20.02.2023 को रिश्वत मांग के अनुसरण में 50हजार रूपये बतौर रिश्वत अपने साथी आरोपी श्री उज्जवल खोखर को दिलवाना एवं दिनांक 15.02.2023 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी श्री राकेश को आरोपी सागरमल द्वारा कहना कि "एसएचओ मेरे से सिधे रूपये नही लेगा किसी

अन्य व्यक्ति के मार्फत ही लेगा आज एसएचओ बलवन्तपुरा में एक शादी में आया हुआ है आप चार बजे से पहले-पहले पेमेन्ट करदो" एवं आरोपी श्री उज्जवल खोखर द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी से पचास हजार रूपये प्राप्त करना एवं गिनकर अपने पहने लोवर की साईड की दाहिनी जेब में रखना एवं बरामद होना तथा आरोपी श्री बजरंग लाल ऐचरा द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार से उसके विरुद्ध पुलिस थाना पाटन जिला सीकर में दर्ज अपराध संख्या 09/2023 में उसकी मदद करवाने एवं उनके परिवारजनो के नाम हटवाने की एवज में आरोपी श्री सागरमल मीणा के साथ मिलीभगत कर आरोपी श्री सागरमल मीणा से दिनांक 20.02.2023 को जरिये फोन पे 24हजार रूपये व 11हजार रूपये नगद प्राप्त करना तथा आरोपी सागरमल की मोबाईल फोन से वार्ता कराने पर श्री बजरंग लाल ऐचरा ने पूर्व में रूपये प्राप्त करना व आगे भिजवाना बताने पर उपरोक्त तीनों का अपराध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भादस की तारीफ में पाया जाने पर उक्त तीनों को गिरफ्तार किया गया। उक्त तीनों आरोपीगण ने मिलीभगत कर एसएचओ/रीडर पुलिस थाना पाटन के नाम से रिश्वत लेना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपीगण श्री सागरमल मीणा, श्री उज्जवल खोखर एवं श्री बजरंग लाल ऐचरा एवं अन्य के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।



(सुरेश्वन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री सागरमल मीणा पुत्र श्री सांवरमल निवासी ग्राम मदनी पुलिस थाना खाटुश्यामजी, जिला सीकर, (प्राईवेट व्यक्ति) वकील 2. श्री उज्ज्वल खोखर पुत्र श्री हेमाराम निवासी विनायकपुरी रायपुरा, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर (प्राईवेट व्यक्ति) वकील 3. श्री बजरंग लाल ऐचरा पुत्र श्री कालुराम निवासी बनाथला, पुलिस थाना दातारामगढ जिला सीकर (प्राईवेट व्यक्ति) वकील एवं अन्य के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 46/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।




(सवाई सिंह गदारा)
महानिरीक्षक पुलिस

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 361-64 दिनांक 21.02.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. चैयरमेन बार काउंसलिंग, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।



महानिरीक्षक पुलिस,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।